आर.सी.एम.एस. नम्बर 2013/00299

(आदेश 20 का नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 69/2013 (लीलाधर वगैरह बनाम पिरूराम वगैरह)

निर्णय दिनांक :— 12.04.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 225.02.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2020/1968 दिनांक 17.08.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी संख्या 1 की ओर से आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि वादी संख्या 1 लीलाधर ने विवादीत जमीन में 1/5 हिस्से की जमीन में खातेदारी दिये जाने में सहमति प्रकट की है। और उसी के अनुरूप निर्णय दिनांक 25.02.2020 को न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की पालना में तहसीलदार मलसीसर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। दावे में हाल ख0न0 301, 513 वाके ग्राम मलसीसर व ख0न0 8, 23 वाके ग्राम पाण्डासी पर कब्जा का कथन किया है। 1/5 हिस्से की जमीन पर वादी लीलाराम उर्फ लीलाधर का कब्जा न होने का कथन प्रतिवादी ने नहीं किया है लेकिन भूलवश विभाजन प्रस्ताव में वादी लीलाराम उर्फ लीलाधर के "ख0न0 300 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम मलसीसर" बंटवारे में आना गलत दर्ज कर दिया जबकि इसकी जगह "ख0न0 301 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम मलसीसर" दर्ज किया जाना चाहिये था इस कारण तथाकथित विभाजन प्रस्ताव में वादी लीलाराम उर्फ लीलाधर को ख0न0 301 मीन रकबा 0.53 है0 का व शेष विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खातेदार धोषित किया जावे व प्रतिवादी पारी पुत्री सरली को विीाजन प्रस्ताव में "ख0न0 300 रकबा 0.24 है0 की जगह 0.77 है0" दर्ज किया जावे व "ख0न0 301 का रकबा 2.28 है0 की जगह 1.75 है0" दर्ज किया जावे। उक्त अनुसार दुरूस्ती की जाकर वादी लीलाराम उर्फ लीलाधर पुत्र बिड़दुराम जाति मेधवाल निवासी मलसीसर को जमीन ख0न0 513 रकबा 0.61 है0, ख0न 301 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम मलसीसर व ख0न0 23 रकबा 0.86 है0, ख0न0 8 रकबा 2.24 है0 वाके ग्राम पाण्डासी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे व धोषणा के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जावे। प्रतिवादी की ओर से

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया।

अतः वादी संख्या 1 लीलाराम उर्फ लीलाधर की ओर से पेश आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में तदनुसार वादी संख्या 1 लीलाराम उर्फ लीलाधर पुत्र बिड़दुराम जाति मेधवाल निवासी मलसीसर को जमीन ख0न0 513 रकबा 0.61 है0, ख0न 301 मीन रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम मलसीसर व ख0न0 23 रकबा 0.86 है0, ख0न0 8 रकबा 2.24 है0 वाके ग्राम पाण्डासी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी पारी पुत्री सरली को विभाजन प्रस्ताव में ख0न0 300 का रकबा 0.24 है की जगह रकबा 0.77 है0 तथा प्रतिवादी संख्या 15 नेतराम पुत्र सुखदेवा के हिस्से में दर्ज ख0न0 301 का रकबा 2.28 है0 के स्थान पर रकबा 1.75 है0 दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष विभाजन प्रस्ताव यथावत रहेगा। विभाजन प्रस्ताव में उक्त संशोधन के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 12.04.2022 को जारी की गई।

मलसीसर

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर